फ.सं. 11012/17/2013 स्था.(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 18 नवम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 - निलंबन के समयानुरूप पुनरीक्षण से संबंधित अनुदेश।

केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 का नियम 10 निलंबन के प्रावधानों को देखती है। नियमानुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों पर किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है:-

(क) जहां उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित अथवा लंबित है; अथवा,

(ख) जहां उक्त प्राधिकारी के मतानुसार वह ऐसे कार्यों में लिप्त है जो राज्य के हित में हानिकारक है अथवा

(ग) जहां उसके विरूद्ध कोई दांडिक कार्यवाही का मामला जांच-पड़ताल अथवा विचाराधीन है।

2. अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में भी निलंबित कर सकते हैं। यह केवल दिशा-निर्देश हेतु है इसे अनिवार्य न माना जाए:-

(i). मामले जहां सरकारी कर्मचारी का कार्यालय में जारी रहना अन्वेषण, विचारण अथवा जांच के लिए हानिकारक हों (उदाहरणार्थ साक्ष्यों अथवा दस्तावेजों को हेरफेर करने की आशंका)

(ii). जहां सरकारी कर्मचारी का कार्यालय में रहना कार्यालय के अनुशासन को नष्ट करना है जहां अन्य कर्मचारी भी कार्यरत हैं।

(iii). जहां सरकारी कर्मचारी का कार्यालय में रहना वृहत लोक हित के विरूद्ध होगा। (बिंदु (i) और (ii) में दिए गए कारणों को छोड़कर) जैसा कि लोक निंदा और यह आवश्यक है कि केंद्रीय कर्मचारी को निलंबित किया जाए जिससे सरकारी नीति दर्शित हो कि ऐसे घोटालों, मुख्यता: भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों को कठोर सजा दी जाती है।

(iv). जहां सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध आरोप लगाए गए हों और प्रारंभिक जांच-पड़ताल से स्पष्ट है कि एक प्रथम दृष्टया उसका अभियोजन सिद्ध होगा अथवा विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया में है और जहां कार्यवाही उसके अपराध स्थापन्न अथवा सेवा से बर्खास्तगी, निवारण एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर समाप्त होगी।

3. उक्त तीन परिस्थितियों में अनुशासनिक प्राधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग करके सरकारी कर्मचारी को तब भी निलंबित कर सकते हैं जब मामला अन्वेषणाधीन है और प्रथम-दृष्टया मामला स्थापित होने से पहले निलंबन की उपेक्षा निम्नलिखित परिस्थितियों में की जा सकती है :-

(i). कोई जुर्म अथवा कार्य जिसमें नैतिक भ्रष्टता शामिल हो।

(ii). भ्रष्टाचार, सरकारी धन का गबन अथवा अपाहरित, असंगत संपत्ति का धारण, व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्यलयी अधिकारों का दुरूपयोग।

(iii). कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उपेक्षा जिससे सरकार को पर्याप्त हानि हो।

(iv). सेवा का परित्याग

(v). वरिष्ठ अधिकारी के लिखित आदेशों को अस्वीकार अथवा जानबूझकर असफल करना। उप खण्ड (iii) और (v) में दी गई अपराधों के संबंध में विचार ध्यान में रखकर किया जाना होगा।

4. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 (6) और 10 (7) निलंबन मामलों के पुनरीक्षण को देखती है। सभी प्रकार के निलंबनों में 90 दिनों के अंदर पुनरीक्षण के प्रावधान लागू है। तथापि, निरंतर विलंब के मामले में पुनरीक्षण मात्र एक नियम पालन बन जाती है जिसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि सरकारी कर्मचारी को ऐसी परिस्थिति में अनुमानित निलंबन पर जारी रहना होगा। ऐसे मामलों में निलंबन के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

5. इस विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि दीर्घकालीन निलंबन अवधि के मामलों में न्यायालय ने यह कहा है कि निलंबन को दीर्घकाल तक जारी नहीं रखा जा सकता है और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निदेशों के बावजूद, अनुशासनिक प्राधिकारी अपेक्षित समय के अंदर अनुशासनिक कार्य पर अंतिम निर्णय नहीं ले रहे हैं। इन मामलों में सरकार अनावश्यक ही कोई कार्य लिए बिना निर्वाह भत्ता दे रही है और यदि, अनुशासनिक कार्यवाही के समापन पर आरोपित अधिकारी आरोपों से दोष मुक्त हो जाए तो अनावश्यक ही सरकार को पूरा वेतन देना पड़ेगा और निलंबन की अवधि को कार्यावधि इत्यादि के रूप में लेना होगा। अतः यह अपेक्षित है कि निलंबन के समयानुकूल पुनरीक्षण को न्याय संगत एवं यथोचित रूप से किया जाए और अनुशासनिक कार्यवाहियों को अंतिम रूप जल्दी से दी जाए।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उनके नियंत्रणाधीन संबंधित सभी निलंबन व समयानुकूल पुनरीक्षण पर मौजूदा निदेशों और अनुशासनिक कार्यवाही के जल्द निपटान को सामने लाए।

(जे. ए. वैद्यनाथन)
निदेशक (स्थापना)
फैक्स- 2309 3179

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रति :

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. सभी केंद्र प्रशासित प्रदेश के प्रशासन
6. लोक सभा /राज्य सभा सचिवालय
7. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ अधिकारी
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग की वेबसाइट (कार्यालय ज्ञापन/आदेश→स्थापना→सीसीएस (सीसीए नियमावली) पर अपलोड करने हेतु।

* हस्ताक्षरित प्रति अंग्रेजी में उपलब्ध है।